

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

No.SEEPZM-IT/12/2025-PROC/ 07765

31-07-2026

परिपत्र संख्या 05

Subject: Adoption of the Model Sub-lease Agreement as recommended by the Advisory Committee- reg.

दिनांक 07.04.2026 को आयोजित SEEPZ-SEZ प्राधिकरण की 76वीं बैठक में लिए गए निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्राधिकरण ने सलाहकार समिति की रिपोर्ट-I का विस्तृत परीक्षण किया तथा समिति द्वारा अनुशंसित मॉडल उप-पट्टा (Sub-Lease) अनुबंध को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की।	Attention is invited to the decision of the 76th Meeting of the SEEPZ-SEZ Authority held on 07.04.2026, wherein the Authority examined Report-I of the Advisory Committee in detail and approved the adoption of the Model Sub-Lease Agreement as recommended by the Advisory Committee.
उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, यह सूचित किया जाता है कि संशोधित मॉडल उप-पट्टा अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे समस्त उप-पट्टाधारकों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक अनुपालन हेतु नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।	In pursuance of the above decision, it is hereby informed that the revised Model Sub-Lease Agreement has been finalized and is made available through the link provided below for information, guidance, and necessary compliance by all Unitholders.
Link: https://seepz.gov.in/uploads/17860243036a74916f83c33_ModelSubleaseagreement.zip	Link: https://seepz.gov.in/uploads/17860243036a74916f83c33_ModelSubleaseagreement.zip
जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा कोई अ	The revised Model Sub-Lease

न्य निर्देश न दिया जाए, तब तक सभी लागू मामलों में संशोधित मॉडल सब-लीज एग्रीमेंट का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाएगा।	Agreement shall be followed in all applicable cases with immediate effect, until further directions are issued by the Competent Authority.
यह सक्षम प्राधिकारी, सीपज़ एसईजेड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।	This issues with the approval of Competent Authority, SEEPZ SEZ.

Digitally signed by
Mital Sudhir Hiremath
Date: 31-07-2026
10:59:43

संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

Copy to:

1. सभी यूनिटधारक और सार्वजनिक उपयोगिताएँ, SEEPZ-SEZ
2. SGJMA
3. SEEMA
4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीपज़-एसईजेड,
5. IT Section, SEEPZ-SEZ
6. Legal Section, SEEPZ-SEZ